बिहार सरकार
मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग
(निबंधन)

आदेश

पटना, दिनांक–................

का0आ0सं0–AL-942/71/2022-SEC_8-....................../– श्री सुरेश सिंह, सेवानिवृत प्रधान लिपिक, द्वारा जिला निबंधन कार्यालय, सारण, छपरा के पदस्थापन अवधि में उनके द्वारा में भूमि का सही रूप से स्थल जाँच नहीं करने के कारण निबंधित दस्तावेज संख्या दस्तावेज संख्या 616/2019 में सरकार को मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क के रूप में कुल –6,12,864/रूपये की राजस्व क्षति का मामला प्रकाश में आया, जो कि बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम–3(1) के तहत सरकारी कर्मी के लिए निर्धारित आचरण के प्रतिकूल पाया गया।

2. उक्त के संदर्भ में श्री सुरेश सिंह, सेवानिवृत प्रधान लिपिक, के विरूद्ध जिला अवर निबंधक, सारण, छपरा द्वारा आरोप पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया, जिसके आलोक में श्री सिंह के विरूद्ध विभागीय स्तर पर आरोप पत्र गठित किया गया तथा गठित आरोप–पत्र आलोक में श्री सिंह से स्पष्टीकरण की माँग की गयी जिसके अनुपालन में आरोपी कर्मी श्री सिंह द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया जिसे प्रथम दृष्टया स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने के कारण अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अस्वीकृत करते हुए आरोप पत्र में विनिर्दिष्ट आरोप की वृहद जाँच हेतु विभागीय कार्यालय आदेश सं0–2951 दिनांक–06.06.2023 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें सहायक निबंधन महानिरीक्षक, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर को संचालन पदाधिकारी तथा जिला अवर निबंधक मुजफ्फरपुर को प्रस्तुतिकरण पदाधिकारी नियुक्त करते हुए उन्हे जाँच प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु निदेशित किया गया।

3. उक्त के अनुपालन में संचालन पदाधिकारी–सह–सहायक निबंधन महानिरीक्षक, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर द्वारा जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, जिसमें प्रतिवेदित किया गया कि सहायक निबंधन महानिरीक्षक, सारण प्रमंडल, छपरा द्वारा रेंडम जाँच के क्रम में जिला निबंधन कार्यालय, सारण में निबंधित दस्तावेज संख्या–616/2019 में वर्णित भूमि को आवासीय प्रकृितिक भूमि माना गया है। आरोपी द्वारा साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किये गये विभागीय पत्रांक–5021, दिनांक–18.12.2017 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ऐसी भूमि/ भूखण्ड जहाँ गाँव बसा हो, उस गाँव के अंतिम घर से चारों ओर सामान्य स्थिति में लगभग 200 मीटर तक की परिधि में अवस्थित क्षेत्र की भूमि को आवासीय भूमि माना गया है। इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों के आधार पर संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने जाँच प्रतिवेदन में श्री प्रसाद, के विरूद्ध लगाये गये आरोप को आंशिक रूप से प्रमाणित पाया गया।

4. आरोपी कर्मी श्री सिंह के विरूद्ध प्रमाणित आंशिक आरोप के आलोक में उनसे विभागीय पत्रांक–2961 दिनांक–03.06.2025 द्वारा द्वितीय बचाव बयान की मांग की गयी, जिसके अनुपालन में उनका द्वितीय बचाव बयान प्राप्त हुआ, जिसमें श्री सिंह ने निबंधन मार्गदर्शिका एवं निबंधन मूल्यांकन नियमावली के अस्तित्व में नहीं रहने के आधार पर उनके द्वारा आरोप से मुक्त करने हेतु अनुरोध किया गया।

5. तदालोक में संचालन पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये जाँच प्रतिवेदन एवं आरोपी कर्मी द्वारा समर्पित द्वितीय बचाव की अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त पाया गया कि आरोपी कर्मी द्वारा अपने बचाव बयान में विभाग को दिगभ्रमित करने का प्रयास किया

गया है जबकि जाँच पदाधिकारी–सह–सहायक निबंधन महानिरीक्षक, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर ने अपने जाँच प्रतिवेदन में अंकित अपने निष्कर्ष में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि तथ्यों व साक्ष्यों से स्पष्ट है कि सहायक निबंधन महानिरीक्षक, सारण प्रमंडल, छपरा द्वारा किये गये रेंडम जाँच में जिला निबंधन कार्यालय, सारण में निबंधित दस्तावेज संख्या–616/2019 में वर्णित भूमि को आवासीय प्रकृति की भूमि पाया गया है जिसके कारण आरोपी कर्मी द्वारा भूमि का भौतिक सत्यापन/स्थल जाँच में गलत प्रतिवेदन दिए जाने के कारण सरकार को मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क के रूप में कुल–6,12,864/रूपये की राजस्व क्षति हुई।

6. अतएव समीक्षोपरांत आरोपी कर्मी श्री सिंह द्वारा समर्पित द्वितीय बचाव को अस्वीकृत करते हुए आरोपी कर्मी श्री सुरेश सिंह, तत्कालीन प्रधान लिपिक, जिला निबंधन कार्यालय, सारण–सम्प्रति सेवानिवृत अभिलेखपाल, जिला निबंधन कार्यालय बक्सर, को बिहार पेंशन नियमावली 1950 के नियम, 43 (बी0) के संगत प्रावधानों के तहत उनके पेंशन से 25% (पच्चीस प्रतिशत) की कटौती 5 (पाँच) वर्ष के लिए करने का दण्ड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

7. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–
(संजय कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– AL-942/71/2022-SEC_8 - 4514 /– पटना, दिनांक– 06.08.25

प्रतिलिपि–महालेखाकार (ले0 एवं ह0) का कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना /समाहर्त्ता–सह–जिला निबंधक, सारण, छपरा/समाहर्त्ता–सह–जिला निबंधक, बक्सर/उप निबंधन महानिरीक्षक/सहायक निबंधन महानिरीक्षक, सारण, छपरा/सहायक निबंधन महानिरीक्षक, पटना प्रमण्डल, पटना/जिला कोषागार पदाधिकारी, सारण, छपरा/जिला कोषागार पदाधिकारी, बक्सर/जिला अवर निबंधक, सारण, छपरा/जिला अवर निबंधक, बक्सर/प्रशाखा पदाधिकरी, प्रशाखा–06/आई0टी मैनेजर, मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/श्री सुरेश सिंह, तत्कालीन प्रधान लिपिक, जिला निबंधन कार्यालय, सारण, सम्प्रति सेवानिवृत अभिलेखपाल, जिला निबंधन कार्यालय बक्सर, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव
बिहार, पटना।